AAO
8
25/6

संख्या – 437/I-1/2021/03/07/2020

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : जून, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1915, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल में अवस्थित प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, मैस, मनोरंजन केन्द्र, गैस्ट हाऊस तथा आवासीय भवनों पर कुल 02 सोलर पॉवर प्लान्ट (88 कि0वॉ0 क्षमता) के स्थापित किये जाने हेतु अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार **चालू वित्तीय वर्ष 2021–22** में रू0 35.64 लाख (रू0 पैंतीस लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (सम्बन्धित कम्प्यूटर आई0डी0 सहित) निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उरेडा द्वारा प्रस्ताव पर अभिकरण की प्रबन्ध कार्यकारिणी अथवा सक्षम प्राधिकृत समिति से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2- यदि भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अन्य स्रोत से प्रश्नगत कार्य हेतु कोई धनराशि अवमुक्त/प्राप्त की गयी है तो प्रथमतः उक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय/सदुपयोग किये जाने के उपरान्त ही वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3- उरेडा द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के मानकों के अनुरूप, स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ई–निविदा आमंत्रित की जायेगी। ई–निविदा में प्राप्त दरों के सम्बन्ध में निदेशक उरेडा द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–निविदा के माध्यम से कार्य हेतु प्राप्त दरें, अन्य समीपवर्ती राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश इत्यादि की दरों, बाजार में प्रचलित दरों एवं गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त ई–निविदा दरों के अनुसार युक्तियुक्त हों। दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशक, उरेडा उत्तरदायी होंगे।
4- योजना के लिए निर्गत धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण एवं व्यय किया जायेगा। अनुमोदित व्यय मदों में से किसी भी मद में परिवर्तन शासन की अनुमति से न किया जाय, एवं उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः–2

IFMS

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, Power(S037)
HOD-Director Electrical Safety(2093)

आवंटन पत्र संख्या -1
अनुदान संख्या-021

आवंटन आई डी-S21060210003
आवंटन पत्र दिनांक-22-JUN-2021

लेखा शीर्षक	2810-वैकल्पिक उर्जा 800-अन्य व्यय	00-0 03-सोलर फोटो वोल्टायिक कार्यक्रम हेतु उरेडा को अनुदान 2810021020301 से स्थानान्तरित
	00-0	Voted

2	8	1	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	3564000	0	3564000
योग	0	3564000	0	3564000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.35,64,000 (Rupees Thirty Five Lacs Sixty Four Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन